संख्या–3652/5–7–1035–86

प्रेषक,

श्री जगदीश चन्द्र चड्ढा,
अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 3 अक्तूबर, 1988

विषय:—सेवारत सरकारी सेवकों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को श्रवण यंत्र तथा सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों (जिसमें राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी सम्मिलित हैं) व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को श्रवण यंत्र तथा कृत्रिम दंतावली की सुविधा हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग–7

उपर्युक्त विषयक पार्श्वोल्लिखित शासनादेशों के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सेवारत और सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा अनुमन्य सुविधाओं को प्राप्त करने में हो रही असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य यन्त्रों की सुविधा, पात्र सेवारत और सेवा-निवृत्त सरकारी सेवकों, उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को शीघ्रता से सुलभ कराने हेतु प्राधिकृत चिकित्सक की संस्तुति के उपरांत संबंधित चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ/चिकित्साधीक्षक की पूर्व अनुमति और सम्बन्धित चिकित्सालय में इन चिकित्साधिकारियों के अभाव में जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी की ही पूर्व अनुमति का प्राविधान रखा जाये। तद्नुसार उल्लिखित शासनादेशों के प्रस्तर–2 में निहित निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 की पूर्वानुमति के स्थान पर मात्र सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ/चिकित्साधीक्षक अथवा संबंधित चिकित्सालय में इन चिकित्साधिकारियों के अभाव में जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

1—3203/5–7–1035/86, दि0 24 जून, 1987
2–एम0एम0 188/5–7–1035/86, दि0 24 जून, 1987

2—उपरोक्त शासनादेशों में अनुमन्य यंत्रों की सुविधा राजकीय चिकित्सालयों से निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है किन्तु राजकीय अस्पतालों में इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में यदि इन यन्त्रों पर व्यय सम्बन्धित सेवक द्वारा अपने संसाधनों से किया जाता है तो प्राधिकृत चिकित्सक जिनके द्वारा सेवक को अथवा उसके परिवार के आश्रित सदस्य को इन यंत्रों की संस्तुति की गयी हो, द्वारा संबंधित यंत्र-व्यय विषयक बिल्स/वाउचर्स के सत्यापित किए जाने तथा अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के निर्गत किये जाने और संबंधित चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ चिकित्साधीक्षक अथवा जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य अनुमन्य धनराशि के अनिवार्यता प्रमाण-पत्र पर अंकित किये जाने तथा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3—मुझे यह भी कहना है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के संबंध में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग के उसी लेखाशीर्षक से की जायेगी जिसके नामे सेवानिवृत्ति के पूर्व वेतनादि का व्यय डाला जा रहा था।

4—ये आदेश वित्त व्यय–नियंत्रण अनु0–3 के अ0 शा0 पत्र सं0 यू0 ओ0 ई–3–1268–X–88, दिनांक 30 सितम्बर, 1988 में व्यक्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
जगदीश चन्द्र चड्ढा,
अनुसचिव।

संख्या–3652(1)/5–7–1035/86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2—शासन के समस्त सचिव/महामहिम राज्यपाल के सचिव।

3—प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष।

4—प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।

5—प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।

6—प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक।

7—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।

9—प्रेसीडेन्ट, फेडरेशन आफ यू0पी0 पेंशनर्स एसोसियेशन–3 सी 9 पार्क रोड, लखनऊ।

10—वित्त व्यय नियं0 (अनुभाग–3) तीन प्रतियां।

11—सूचना निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ कृपया इन आदेशों को प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
जगदीश चन्द्र चड्ढा,
अनु सचिव।

बी0एस0यू0पी0-ए0पी0 6 सा0 चिकित्सा-17-10-88-(1794)-1988—2,000 (हि0)।